न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-4, मुजफफरनगर

पीठासीन अधिकारी-(मनोज कुमार सिद्धू)..... (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जमानत प्रार्थना-पत्र सं.-2450/2026

अर्जुन कुमार व 01 अन्य बनाम उ.प्र. राज्य

मुकदमा अपराध सं०-62/2026

धारा 109(1),191(2),191(3),115(2),351(3),352,333,117(2)बी0 एन 0 एस 0

थाना-रतनपुरी, जिला मुजफ्फरनगर

एवं

जमानत प्रार्थना-पत्र सं.-2621/2026

रोहित सोम व 03 अन्य बनाम उ.प्र. राज्य

मुकदमा अपराध सं०-62/2026

धारा 109(1),191(2),191(3),115(2),351(3),352,333,117(2)बी0 एन 0 एस 0

थाना-रतनपुरी, जिला मुजफ्फरनगर

09.06.2026

1- उक्त दोनों जमानत प्रार्थना-पत्र एक ही घटना के मुकदमा अपराध सं0-62/2026, अन्तर्गत धारा109(1),191(2),191(3),115(2),351(3),352,333,117(2)बी0 एन 0 एस 0, थाना रतनपुरी, जिला मुजफ्फरनगर से संबंधित है, जिस कारण उक्त दोनों जमानत प्रार्थना-पत्रों को सुविधा की दृष्टि से एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

2- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **अर्जुन कुमार पुत्र सुभाष, भोरा पुत्र सिरदार, रोहित सोम पुत्र संजू सिंह, भवर सिंह पुत्र सरदार, संजू पुत्र चमन सिंह व हरिद्वारी पुत्र शीशपाल निवासीगण ग्राम भूपखेडी, थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर की ओर से मुकदमा अपराध सं0-62/2026, अन्तर्गत धारा 109(1),191(2),191(3),115(2),351(3),352,333,117(2)बी0 एन 0 एस 0, थाना रतनपुरी, जिला मुजफ्फरनगर** के प्रकरण में दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

2- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रस्तुत मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है।

3- जमानत प्रार्थना-पत्र में अभियुक्तगण द्वारा यह आधार लिया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना-पत्र किसी न्यायालय या उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थीगण/आवेदकगण ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मनगढन्त साक्ष्य गढ़कर कहानी बनाकर झूठी पंजीकृत करायी गयी है। उनके व वादी के खेत पास-पास है। उन्होंने वादी व वादी की पत्नी हेमलता के साथ लाठी डंडों व सरियों से एक राय होकर जान से मारने की नियत से घर में घुसकर कोई मारपीट नहीं की है और न गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वादी व चोटहिल के जो चोटें दिखायी गयी है, वे सभी साधारण प्रकृति की है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे दिनांक 06.05.2026 से जिला कारागार

Digitally signed by MANOJ KUMAR SIDDHU
Date: 2026.06.09 14:50:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

में निरूद्ध है। उक्त आधारों पर प्रार्थीगण/अभियुक्तग द्वारा दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। जमानत प्रार्थना-पत्र शपथ पत्रों से समर्थित है।

4- अभियोजन कथानक संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजेश पुत्र ओमबीर निवासी ग्राम भूपखेड़ी थाना रतनपूरी मुनगर का रहने वाला हैं। दिनाँक 27/04/2026 को उसका लड़का निखिल अपने खेत पर गया था, तब उसके लडके निखिल ने देखा कि रोहित पुत्र संजू निवासी ग्राम भूपखेड़ी थाना रतनपूरी मु.नगर ने उनके खेत में कूडी डाल दी थी। उसके लडके निखिल ने मना किया तो रोहित ने उसके लडके के साथ मारपीट शुरू कर दी। गाँव के लोगों के द्वारा कहा गया कि हम तुम्हारा समझौता कल करा देंगे तो हमने उनके कहने में आकर रिपोर्ट नहीं की। कल दिनाँक 28/04/2026 को शाम करीब 7 बजे जब उसका लडका निखिल अपने खेत की ओर जा रहा था तो रोहित ने उसके लड़के के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसका लडका जोर-जोर से चिल्लाते हुए अपने घर में घूस गया, तभी पीछे से रोहित पुत्र संजू अपने चचेरे भाईयों अर्जुन पुत्र सुक्कू, भूरा पुत्र सिरदार, भँवर पुत्र सिरदार, सन्जू पुत्र चमन, हरिद्वारी पुत्र शिशपाल निवासी ग्राम भूपखेडी थाना रतनपूरी मु.नगर उनके घर में लाठी डन्डे व सरिया लेकर उसके बेटे को पीटने व जान से मारने की नियत से घर के अन्दर घूस गये और मारपीट शुरू कर दी। जब उसने व उसकी पत्नी हेमलता ने छुटाने का प्रयास किया तो उन सभी ने हमारे साथ भी लाठी डन्डों से मारपीट शुरू कर दी, तभी गाँव के काफी लोगों की भिड़ इकठा हो गयी। तभी वे सभी गाली- गलोच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। उसके बेटे निखिल को उसे और उसकी पत्नी को काफी चोटें आयी हैं।

5- अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना- पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण ने एक राय होकर वादी मुकदमा के घर में घुस कर वादी मुकदमा, उसके लडके व उसकी पत्नी को जान से मारने की नियत से लाठी डंडों से प्रहार किया जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई और उन्हें गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6- जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7- अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण पर एक राय होकर वादी मुकदमा के घर में घुस कर वादी मुकदमा, उसके लडके व उसकी पत्नी को जान से मारने की नियत से लाठी डंडों से प्रहार कर उन्हें गंभीर चोटें पहुँचाने व उन्हें गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दिये जाने का आक्षेप है। केस डायरी में संलग्नक चोटहिल राजेश/वादी मुकदमा के चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अवलोकन से विदित है कि चोटहिल राजेश को चार चोटें पायी गई है। चोटहिल श्रीमती हेमलता, जो वादी मुकदमा की पत्नी है, के चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अवलोकन से विदित है कि चोटहिल श्रीमती हेमलता को 01 एक चोट आना पाया गया है। वादी मुकदमा के पुत्र निखिल के चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अवलोकन से विदित है कि चोटहिल निखिल को भी एक चोट आना पाया गया है। चोटहिल राजेश की चोटों के संबंध में जिला

चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में एक्स-रे कराया गया और पूरक चिकित्सीय रिपोर्ट तैयार की गई जिसके अवलोकन से विदित है कि रेडियोलॉजिस्ट द्वारा चोटहिल को आई चोट नं0-4, जिसमें चोटहिल के चेस्ट के बांयी तरफ फ्रैक्चर होना पाया है जिसको Gravious Nature की होना बताया है, इसके अतिरिक्त चोटिहलों को आई सभी चोटें साधारण प्रकृति की होना दर्शित किया गया है। अभियुक्तगण दिनांक 06.5.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बगैर अभियुक्तगण/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **अर्जुन कुमार पुत्र सुभाष, भोरा पुत्र सिरदार, रोहित सोम पुत्र संजू सिंह, भवर सिंह पुत्र सरदार, संजू पुत्र चमन सिंह व हरिद्वारी पुत्र शीशपाल निवासीगण ग्राम भूपखेडी, थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर की ओर से मुकदमा अपराध सं0-62/2026, अन्तर्गत धारा 109(1),191(2),191(3),115(2),351(3),352,333,117(2)बी0 एन 0 एस 0, थाना रतनपुरी, जिला मुजफ्फरनगर** के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाते हैं। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अंकन **50,000-50,000/-रूपये (पचास-पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि के **दो -दो प्रतिभू** सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर जमानत पर निम्न शर्तो पर रिहा किया जाता हैः-

1- आवेदक/अभियुक्त दौरान विचारण मामले से सम्बन्धित साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगें।
2- आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के द्वारा नियत की गई प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थना-पत्र सं0-2621/2026 पर रखी जाए।

(मनोज कुमार सिद्धू)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-4
मुजफफरनगर
J.O.Code-UP6417

दिनांक-09.06.2026